लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक / बजट(ए) / 17 / 2018–19 / 131 भोपाल, दिनांकः–29 / 06 / 2018

प्रति,

1. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,**
   लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**
   जिला म.प्र.।

विषयः– राज्य शासन के अधिकारीयों / कर्मचारियों द्वारा राज्य के अंदर / बाहर उपचार कराने पर निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय का भुगतान।

——00——

उपरोक्त विषयक मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन के अधिकारीयों / कर्मचारियों द्वारा राज्य के बाहर उपचार कराने पर निर्धारित पैकेज से अधिक व्यय का भुगतान कराये जाने के संबंध में नवीन निर्देश / प्रक्रिया आदेश क्र. / एफ 4–23 / 2013 / 2 / 55 दिनांक 25.04.2018 निर्धारित की गई है। (प्रति संलग्न) नवीन प्रक्रिया अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जाये।

2. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के प्रकरण बंटन हेतु संचालनालय को प्रेषित करते समय कर्मचारी के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है एवं एक ही कर्मचारी के प्रस्ताव अलग–अलग योजनाओं में तैयार कर भेजे जाते है जिससे की डबल भुगतान होने की संभावना होती है।

अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति / अग्रिम के प्रस्ताव भेजने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

1. किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का प्रस्ताव भेजते समय समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लें।
2. जिस अधिकारी / कर्मचारी का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है उसका वेतन आहरण किस योजना से किया जा रहा है, स्पष्ट करें साथ ही सत्यापित करें कि संबंधित का वेतन भुगतान उसी योजना से किया जा रहा है।
3. प्रस्ताव जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रशासकीय स्वीकृति जारी उपरान्त ही मान्य किया जावेगा।
4. प्रस्ताव भेजते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे की संबंधित के चिकित्सा प्रतिपूर्ति / अग्रिम हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज जैसे :–
   - कार्योत्तर स्वीकृति।
   - प्रशासकीय स्वीकृति।
   - जिन कर्मचारी / अधिकारी का नियमित उपचार चल रहा हो तो मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी अनुमति / सहमति पत्र।

5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करें कि भेजे गये देयक उसकी सेवा अवधि के हैं।
6. कार्यरत संस्था का स्पष्ट उल्लेख करें।
7. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के चिकित्सा देयक हेतु अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में संबंधित के समस्त चिकित्सा देयक सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रस्ताव भेजते समय एक साथ सभी कर्मचारियों के प्रस्ताव न भेजते हुए पृथक–पृथक प्रस्ताव बनाकर योजनावार भेजा जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त बिंदु के आधार पर पूर्ण परीक्षणोपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव संचालनालय को भेजना सुनिश्चत करे।

संलग्नः– आदेश क्र./एफ 4–23/2013/2/55 दिनांक 25.04.2018

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ. क्रमांक/बजट(ए)/17/2018–19/132 भोपाल, दिनांकः–29/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.